अधिसूचना नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2016

सं0 17/2016-सीमाशुल्क

सा.का.नि. (अ.) केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्‌वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 25/99-सीमाशुल्क, तारीख 28 फरवरी, 1999, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं0 161(अ), तारीख 28 फरवरी, 1999 द्‌वारा प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना की सारणी की सूची क में,--

(i) क्रम सं0 93 के सामने, स्तंभ (4) में की विद्‌यमान प्रविष्टि के पश्चात् "सब-मिनिएचर फ्यूज, सूक्ष्म फ्यूज, पुन:नियतनीय फ्यूज और तापीय फ्यूज" शब्द जोड़े जाएंगे;

(ii) क्रम सं0 190 के सामने स्तंभ (4) में की विद्‌यमान प्रविष्टि के पश्चात् "सब-मिनिएचर फ्यूज, सूक्ष्म फ्यूज, पुन:नियतनीय फ्यूज और तापीय फ्यूज" शब्द जोड़े जाएंगे;

[फा.सं. 334/8/2016-टीआरयू]

(अनुराग सहगल)
अवर सचिव, भारत सरकार

**टिप्पण** : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का. नि. सं.161(अ) तारीख 28 फरवरी, 1999 द्‌वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 16/2012-सीमाशुल्क, तारीख 17 मार्च, 2012, सा.का.नि. सं. 189(अ) तारीख 17 मार्च, 2012 द्‌वारा अंतिम बार संशोधित की गई थी ।